अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

452

459/19/अपील हनुमान बनाम सरकार

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइन्दा हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/0459 श्री शेखर लाल मौ० श्री	
30.12.19	प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 को जारी एड़ी बाद तामील प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 01 को तीन बार रूक–रूक कर आवाजें दिलाई गई, किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं । तत्पश्चात प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाजदायरी (आदेश 41 नियम 19 जा.दी.)पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन सर्वप्रथम बाजदायरी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कथनों पर विश्वास करते हुए एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थना पत्र बाजदायरी (आदेश 41 नियम 19 जा.दी.) को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। तत्पश्चात बाजदायरी का निस्तारण किया जाता उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी के प्रस्तुत कथन एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र बाजदायरी (आदेश 41 नियम 19 जा.दी.) को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी (आदेश 41 नियम 19 जा.दी.) को न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	